

प्रपत्र-50

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या दिनांक-5-3/2007 - एफ0सी0 दिनांक - 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता नियता निम्नानुसार है:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ईको-क्लास श्रेणी | <u>II</u> |
| 2. हरियाली का घनत्व | <u>0.1</u> |
| 3. एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 रुपये | <u>657000/00</u> |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल | 0.224 है0 |
| 5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि | $0.224 \times 657000.00 \times 5 = 735840.00$
योग = 735840.00
(सात लाख पैंतिस हजार आठ सौ चालीस रु0 मात्र) |

नोट:- सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में रुपिन नदी पर धौला नामक स्थान में 42 मीटर स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0, पुरोला के वन्य जीव विहार के संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत होना है, जिस कारण संरक्षित क्षेत्र का 5 गुना एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किया जाना है।

(डी0पी0बलूनी)

उप निदेशक,

गोविन्द वन्य जीव विहार/रा0पा0,
पुरोला, उत्तरकाशी।